



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी
.....विश्वविद्यालय,
.....University,
राज भवन, जयपुर - 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.27(ए)(2)आरबी / 2025 / 5801

दिनांक : 18 अक्टूबर, 2025

आदेश

मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2000 (यथा संशोधित) की धारा 24(3) व (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार के परामर्श से डॉ. प्रताप सिंह, निदेशक विस्तार, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

हस्ता० / -

(हरिभाऊ बागडे)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.27(ए)(2)आरबी / 2025 / 5802

दिनांक : 19 अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. डॉ. प्रताप सिंह, निदेशक विस्तार, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
5. प्रो. बी. एल. वर्मा, कार्यवाहक कुलगुरु, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
6. कुलगुरु, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी आई.टी. सैल, राजभवन को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।



(डॉ. पृथ्वी)

सचिव,

राज्यपाल, राजस्थान